समाहरणालय, कटिहार

कमलेश कुमार सिंह, बि०प्र०से०
अपर समाहर्त्ता, आ०प्र०, कटिहार।
:– +91–9473191376
फैक्स :– 06452–230880
E-mail – admrellefkatl@gmail.com

आपदा प्रबंधन प्रशाखा

पत्रांक–(संचिका सं०–XIX-11/2020)/आ०प्र० .... दिनांक : ....

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
कटिहार जिला।

विषय :– **प्रखंड/पंचायत/ग्राम में अवस्थित प्रखंड क्वॉरंटीन कैम्पों में ट्रेनों तथा अन्य माध्यम से आये प्रवासी मजदूरों को 1000/– रू0 प्रति व्यक्ति की दर से PFMS के माध्यम से उनके बैंक खाते में भुगतान करने के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1887/आ0प्र0, दिनांक 14.05.2020 एवं पत्रांक–1921/आ0प्र0, दिनांक 15.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में लागू वर्त्तमान लॉक डाउन के दौरान गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिये गये छूट के आलोक में विभिन्न राज्यों से ट्रेनों एवं अन्य माध्यम से प्रवासी मजदूर बिहार आ रहे हैं, जिसके आलोक में उन्हे जिले के प्रखंड क्वॉरंटीन कैम्प में रखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रवासी मजदूर अधिक संख्या में होने के कारण कतिपय प्रखंड क्वॉरंटीन कैम्प प्रखंड मुख्यालय के अतिरिक्त पंचायत एवं ग्राम स्तर पर भी संचालित किया जा रहा है। सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी प्रखंड क्वॉरंटीन कैम्प में रह रहे प्रवासी मजदूर के द्वारा ट्रेन के किराये के रूप में की गयी भुगतान की राशि को Reimburse किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त उन्हे 500/– रू0 प्रति व्यक्ति की दर से भी सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा। उन्हे न्यूनतम 1000/–रू0 से कम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। ट्रेन टिकट में हुए व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति मूल रेल टिकट में अंकित रेल किराया के आधार पर की जायेगी। मूल रेल टिकट प्राप्त कर संबंधित प्रखंड/अंचल कार्यालय में संधारित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य माध्यम से आये प्रवासी मजदूर, जो उक्त क्वॉरंटीन कैम्प में रह रहे हैं को भी PFMS के माध्यम से उनके बैक खाते में राशि हस्तान्तरित करने हेतु निम्न निर्णय लिये गये है :–

(i) ट्रेन के अतिरिक्त अन्य माध्यम से बिहार राज्य में आये प्रवासी मजदूर प्रखंड/पंचायत/ग्राम क्वॉरंटीन कैम्प में रह रहे है को 1000/– रू0 प्रति व्यक्ति की दर से **"प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता"** की राशि दी जायेगी, जिसमें 500/– रू0 अतिरिक्त सहायता राशि भी शामिल होगी।

(ii) **"प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता"** की राशि उन्ही को दी जायेगी जिनका बैंक खाता बिहार राज्य में संधारित है तथा बैंक खाता उनके नाम से हो।

(iii) **"प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता"** की राशि का भुगतान प्रखंड क्वॉरंटीन कैम्प में 14 दिन रहने के उपरान्त ही मान्य होगा।

इसके लिए संलग्न विहित प्रपत्र में प्रखंड क्वॉरंटीन में रह रहे प्रवासी मजदूर एवं अन्य का ऑकड़ा प्राप्त कर NIC के **"आपदा सम्पूर्ति पोर्टल"** (aapda.bih.nic.in) पर अपलोड करना होगा। इस हेतु आपदा सम्पूर्ति पोर्टल का लॉगिंग आई0डी0 तथा पासवर्ड जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा के पत्रांक–258 दिनांक–17.05.2020 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को हस्तगत करा दी गई है।

अतः निदेश दिया जाता है कि अतिशीघ्र वांछित ऑकड़ा प्राप्त कर एन0आई0सी0 के आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय, जिससे लाभूकों को उनके बैंक खाते में PFMS के माध्यम से राशि सीधे हस्तान्तरित किया जा सके।

इसे अतिआवश्यक समझेंगे।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

अपर समाहर्त्ता
आपदा प्रबंधन,
कटिहार।

ज्ञापांक 268 **/आ0प्र0** XIX-11/2020 **/2020 दिनांक** 18/05/2020

प्रतिलिपि :– सभी अंचलाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला IT प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 18/5/2020

अपर समाहर्त्ता
आपदा प्रबंधन,
कटिहार।

NIC के आपदा सम्पूर्ति पोर्टल में प्रवृष्टि किये जाने वाले आंकड़ा हेतु विहित प्रपत्र।

क्र०	अंचल / नगर निकाय का नाम	पंचायत / नगर पंचायत का नाम	नगरीय वार्ड का संख्या	क्वॉरंटीन कैम्प का नाम	क्वॉरंटीन कैम्प पर लाभार्थी का पंजीकरण संख्या	लाभार्थी का नाम (बैंक खाते के अनुसार)	पिता / पति का नाम	लिंग (पुरुष / महिला)	मोबाईल संख्या	IFSC	बैंक खाते की संख्या	क्या लाभार्थी ने क्वॉरंटीन कैम्प में 14 दिन गुजारा है (हाँ / नहीं)	यात्रा का माध्यम (ट्रेन / बस / अन्य)	रेल यात्रा का टिकट संख्या	रेल यात्रा के शुरूआत की रेलवे स्टेशन का नाम	रेल यात्रा के अन्तिम रेलवे स्टेशन का नाम	रेलवे यात्रा का किराया	सहायता राशि (@500/-)	कुल राशि (न्यूनतम 1000 / — रुपये)	कुल राशि	देय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

(द्वारा) जिला IT प्रबंधक
का/CEER